यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 01/2022

केदारमल पुत्र उमराव जाति खाती उम्र 54 वर्ष पेशा काश्त निवासी सागवा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।

–अपीलार्थी

–बनाम–

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना, जिला झुन्झुनूं।

– रेस्पोडेन्ट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय तहसीलदार बुहाना
उनवानी सरकार बनाम केदारमल अं0धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 04/2021 निर्णय दिनांक 06.10.2021

उपस्थितिः–

1 श्री कैलाश, एडवोकेट ---- ----- -----अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट----------रेस्पोडेन्ट नंबर–1 की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 25.4.2022

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 06.10.2021 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम केदार मल मु0नं0 4/2021 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय तहसीलदार तहसीलदार बुहाना के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि– रेस्पोंडेंट पवन कुमार ने एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार बुहाना को दिनांक 19.8.2021 को इस आशय का पेश किया कि उसे ग्राम बामणवास स्थित भूमि ग्राम सागवा से एक मुख्य रास्ता जाता है जिस पर वर्तमान में अपीलार्थी ने चारदिवारी बनाकर उक्त बामणवास रास्ते को रोक दिया है जिससे कि राहगीरों को आने जाने में परेशानी हो रही है। जिस पर तहसीलदार द्वारा हल्का पटवारी को जांच कर कार्यवाही हेतु लिखा गया। हलका पटवारी घसेड़ा ने दिनांक 20.8.2021 को रिपोर्ट पेश की जिसमें बताया गया कि भूमि खसरा नंबर 942/685 रकबा 0.01 हैक्टर जिसकी किस्म जी.ए. जी खातेदारी भूमि में कटानी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.05.04 14:33:45 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

रास्ता है जिस पर अपीलार्थी ने अपनी चारदिवारी बनाकर अतिक्रमण किया जा रहा है। उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर तहसीलदार बुहाना ने अपीलार्थी को धारा 90ए का नोटिस दिया व दिनांक 13.9.2021 को उपस्थित होकर जवाब पेश करने को कहा गया । उक्त दिनांक पर अपीलार्थी ने अपना लिखित जवाब मय नजरी नक्शे के पेश किया व उसके बाद दिनांक 1.10.2021 को पेशी नियत की गई। दिनांक 6.10.2021 को बिना अभिभाषक की बहस सुने ही निर्णय पारित कर दिया गया, जिसकी सूचना अपीलार्थी व उसके अभिभाषक को नहीं दी गई । दिनांक 6.10.2021 को अपीलार्थी अभिभाषक को बताया गया कि आपकी बहस सुनकर आदेश पारित करेंगे, आप उपस्थिति बाबत हस्ताक्षर कर दें, तो अपीलार्थी के वकीलअपने हस्ताक्षर बिना आदेशिका लिखे ही उपस्थिति के हस्ताक्षर कर दिये। दिनांक 6.10.2021 की आदेशिका से स्पष्ट है कि दिनांक 12.1.2022 के दोपहर 2 बजे के लगभग जब पवन कुमार रेस्पोडेंट नंबर 2 के कुछ व्यक्तियों को साथ लेकर जे. सी.बी. मशीन से अपीलार्थी का लगभग 15 फीट लम्बा डण्डा तोड़ दिया जिस पर अपीलार्थी तहसील बुहाना में गया ओर यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपीलांट का कथन है कि भूमि खसरा नंबर 942/685 खातेदारी की भूमि है। यदि खातेदारी भूमि में किसी भी व्यक्ति को कोई परेशान हो तो उसके लिए उपखण्ड अधिकारी ही सक्षम अतिकारी है,ना कि तहसीलदार। तहसीलदार बुहाना ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर रेस्पोडेंन्ट नंबर 2 को अवैध लाभ दिलवाने के लिए अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि का गलत नोटिस दिया है और गलत रूप से अपीलार्थी के विरूद्ध कार्यवाही की गई है। अपीलार्थी ने अपने जवाब ने तहसीलदार बुहाना को सभी तथ्यों से अवगत करवा दिया गया था मगर तहसीलदार बुहाना ने उन सबको अनदेखा किया व गलत रूप से रेस्पोडेंन्ट को लाभ पंहुचाने की गरज से गलत रूप से कार्यवाही की है जो निरस्त होने योग्य है। अंत' में अपील पेश कर निवेदन किया कि तहसीलदार बुहाना का आदेश दिनांक 6.10.2021 को निरस्त फरमाया जावे। किया गया कि त

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की [illegible] ल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.05.04 14:33:45 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि:— भूमि खसरा नंबर 942/685 खातेदारी की भूमि है। यदि खातेदारी भूमि में किसी भी व्यक्ति को कोई परेशान हो तो उसके लिए उपखण्ड अधिकारी ही सक्षम अतिकारी है,ना कि तहसीलदार। तहसीलदार बुहाना ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर रेस्पोडेंन्ट नंबर 2 को अवैध लाभ दिलवाने के लिए अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि का गलत नोटिस दिया है और गलत रूप से अपीलार्थी के विरूद्ध कार्यवाही की गई है। अपीलार्थी ने अपने जवाब ने तहसीलदार बुहाना को सभी तथ्यों से अवगत करवा दिया गया था मगर तहसीलदार बुहाना ने उन सबको अनदेखा किया व गलत रूप से रेस्पोडेंन्ट को लाभ पंहुचाने की गरज से गलत रूप से कार्यवाही की है जो निरस्त होने योग्य है।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम — अपीलार्थी द्वारा रास्ते की भूमि पर चारदिवारी बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुना जाकर निर्णय पारित किया गया है । पारित निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर सुना गया है। अपीलांट द्वारा इस न्यायालय के समक्ष भी ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई, जिससे रास्ते की भूमि पर उसका अतिक्रमण वैध साबित होता हो। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर सागवा —ब्राहम्मणवास जाने वाले रास्ते पर अपीलांट द्वारा अतिक्रमण किये जाने पर उसे विधिवत सुना जाकर निर्णय दिनांक 6.10.2021 पारित किया गया है। रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण होने पर तहसीलदार को कार्यवाही किये जाने का क्षेत्राधिकार है। हस्तगत प्रकरण में मौके पर अतिक्रमण हटाया जाकर रास्ता खोला जा चुका है। अपीलांट द्वारा [illegible] की भूमि अतिक्रमण किये जाने के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय एवं हाजा न्यायालय के समक्ष कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.05.04 14:33:45 IST
Reason: SelfAttested

जिससे उसका अतिक्रमण वैध साबित हो। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.10.2021 उनवानी सरकार बनाम केदारमल मु0नं0 04/2021 यथावत रखा जाता है । मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 25.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जे0 पी0 गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.05.04 14:33:45 IST
Reason: SelfAttested